

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या-1736 / 12ए-225 (2014-17) / डी0एल0आर0सी0 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी 2.1504 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, चकराता
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपके पत्रांक-541/पेशकार/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम-शिर्वा, खत-बनगांव, तहसील-चकराता, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 00092, खसरा नं0 1938 रकबा 2.1504 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपके पत्र संख्या-541/पेशकार/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम-शिर्वा, खत-बनगांव, तहसील-चकराता, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 00092, खसरा नं0 1938 रकबा 2.1504 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके पत्र संख्या-1560/2सी. दिनांक 17 मई, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।

जिलाधिकारी
देहरादून

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Provil. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.